

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय:- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी।

स्थान निरीक्षण दिनांक..... समय.....

1. संस्थान का नाम एवं पता.....
2. नियोजक/भागीदार का नाम एवं पता.....
3. कारखाना व्यास्थापक का नाम एवं पता.....
4. संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति.....
5. कार्य का समय
6. वेतन.....
7. नियोजित श्रमिकों की संख्या
- पुरुष..... स्त्री.....
8. क्या अधिनियम की धारा 4 के अनुसार समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुष श्रमिकों को समान वेतन दिया जा रहा है?.....
9. क्या अधिनियम की धारा 5 के अनुसार लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है?.....
10. क्या नियोजक द्वारा अधिनियम के अनुसार **रजिस्टर-डी** संधारित किया गया है?.....

निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति नियोजक/प्रतिनिधि को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त वर्णित उल्लंघनों/तथ्यों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी/सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त..... को प्रेषित करें। अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

निरीक्षक,

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

श्रम निरीक्षक (.....)

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय—मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी।

स्थान निरीक्षण दिनांक समय

1. संस्थान/फैक्ट्री का नाम व पता
.....
मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी0
पंजीकरण क्रमांक (फैक्ट्री एक्ट/शॉप एक्ट)
2. संस्थान/फैक्ट्री का स्थापना वर्ष एवं कार्य की प्रकृति
3. संस्थान/फैक्ट्री के मालिक/निदेशक/पार्टनर्स के नाम व पते
4. व्यवस्थापक/फैक्ट्री मैनेजर का नाम व पता
5. निरीक्षण के समय उपस्थित मैनेजर/नियोजक/प्रतिनिधि का नाम व पता
6. (1) संस्थान/फैक्ट्री में विगत 12 माह में किसी भी दिन नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या :-
पुरुष.....महिला.....बच्चे.....योग.....
(2) संस्थान/फैक्ट्री में निरीक्षण के समय नियोजित श्रमिकों की संख्या :-
पुरुष.....महिला.....बच्चे.....योग.....
7. अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्य एवं उल्लंघन का विवरण ..
8. पिछले 3 वर्षों में मातृत्व हितलाभ हेतु योग्य श्रमिक/कर्मकारों की संख्या.....
9. (I) क्या (धारा 4) महिला कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रसव से 6 सप्ताह पश्चात व संभावित प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व के बीच कार्य लिया गया।

- (II) क्या मातृत्व हितलाभ के योग्य महिला श्रमिक/कर्मकारों को मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया गया।(धारा 5)
- (III) मास्टर रोल का प्रपत्र "A" में संधारण किया गया है। (नियम 3)
- (iv) क्या वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष का भेजा गया है। (नियम 16)
- (V) क्या अधिनियम का सांराश प्रपत्र "K" में प्रदर्शित किया गया है। (नियम 15)

10. अन्य।

निरीक्षण पत्र की एक प्रति संस्थान के मैनेजर/नियोजक/प्रतिनिधि श्री को देकर सूचित किया जाता है कि वे निरीक्षण पत्र में दर्शायी गयी कमियों एवं उल्लघनों को दूर कर पालना रिपोर्ट मय रिकार्ड के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्यालय में 15 दिवस के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करें तथा एक प्रति कार्यालय अध्यक्ष को भी उपरोक्त पते पर सूचनार्थ प्रेषित करें। कृपया सूचित रहे कि अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

निरीक्षण पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त की गयी।

निरीक्षक
मातृत्व हित लाभ अधिनियम,
1961
श्रम निरीक्षक (.....)

हस्ताक्षर नियोजक /प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय:—न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 एवं राजस्थान न्यूनतम वेतन नियम 1951 के अंतर्गत निरीक्षण।

संस्थान/पंजीकृत कार्यालय मैसर्स.....का
नाम व पता.....

नियोजक मालिक, भागीदार,

डायरेक्टर का नाम व पता.....

आपका संस्थान न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन () है और जिसके लिए सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या.....दिनांक.....द्वारा न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की जा चुकी हैं, का निरीक्षण आज दिनांक.....को नियोजक/प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में करने पर निम्न अनियमितताएं व उल्लंघन पाये गये :-

- (1) संस्थान का विवरण.....
 - (क) नियोजक का नाम व पता.....
 - (ख) निरीक्षण के दिन कुल श्रमिक उपस्थित पुरुष.....स्त्री.....बच्चे.....कुल.....
 - (ग) वेतन कालावधि.....वेतन भुगतान का दिनांक.....
 - (घ) उपस्थित नियोजक या उसके प्रतिनिधि का नाम.....
 - (च) कार्य समय.....विश्राम समय.....
- (2) न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 12,13,14 व नियम 21,23,26 के अंतर्गत उल्लंघन पाए गए:-
 - (क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भुगतान.....
 - (ख) नियम 21 के अंतर्गत समय पर वेतन.....
 - (ग) नियम 23 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश.....
 - (घ) नियम 26 के अंतर्गत ओवर टाइम.....
- (3) रजिस्टर्स व रिकार्ड जो नियम 21,26,27 के अंतर्गत आवश्यक है :-
 - (क) हाजिरी रजिस्टर(27/5)
 - (ख) वेतन रजिस्टर (271)
 - (ग) ओवर टाइम रजिस्टर (26/2)
 - (घ) जुर्माना रजिस्टर (214)
 - (च) कटौती रजिस्टर (214)
- (4) राजस्थान न्यूनतम वेतन नियम 22 के अंतर्गत आवश्यक नोटिसों का प्रदर्शन :-
 - (क) न्यूनतम वेतन दरों का प्रदर्शन.....
 - (ख) संबंधित निरीक्षक का नाम व पता.....
 - (ग) साप्ताहिक अवकाश.....

(घ) श्रमिकों का कार्यकाल.....
(ङ) अधिनियम व नियमों की खास 2 बातों का प्रदर्शन.....

...

- (च) वेतन भुगतान के दिनांक का नोटिस.....
- (5) नियम 273 के अनुसार नियोजित श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा।
 - (6) नियम 272 के अनुसार फार्म संख्या 12 में मजदूरी पर्चियां।
 - (7) नियम 27(क) के अनुसार रजिस्टर कार्य स्थल पर रखें।
 - (8) नियम 27(ख) के अनुसार रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत किए।
 - (9) अन्य कोई अनियमितता पाई गई।

निरीक्षण पत्र की एक प्रति नियोजक/प्रतिनिधि श्री..... को देकर सहमति दी गई कि निरीक्षण पत्र में दर्शाई गई अनियमितताओं को दूर कर अनुपालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता एवंश्रम कल्याण अधिकारी/सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय को मय रिकार्ड के सात दिवस में प्रस्तुत करें। अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर अधिनियम की धाराओं व नियमों का उल्लंघन करने के अभियोग में आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

निरीक्षक,
न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं
श्रम श्रम निरीक्षक (.....)

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त उल्लंघनों को नोट कर लिया है।

नियोजक/व्यवस्थापक/प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....
(निरीक्षण टिप्पणी अंतर्गत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958)

निरीक्षण तिथि.....

संस्थान का नाम व पता:—मैसर्स.....समय.....

नियोजक का नाम..... संस्थान का रजिस्ट्रेशन नं०.....

कार्यरत श्रमिकों की संख्या पुरुष.....महिला.....बालक.....योग.....

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 व नियम 1959 के अंतर्गत नियोजक/
प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर
निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

1. दुकान/संस्थान पंजीकृत नहीं पाई गई (धारा-4)
2. वर्ष.....हेतु नवीनीकृत नहीं है (नियम-6)
3. नियम 22(10)के अनुसार कार्य स्थल पर विजिट बुक निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई।
4. दुकान/संस्थान धारा(12) के प्रावधानों के विपरीत साप्ताहिक अवकाश के दिन..... को खुला पाया गया।
5. दुकान/संस्थान धारा 11(1) के प्रावधानों के विपरीत निर्धारित समय के पश्चात्/पूर्व.....बजे खुली पाई गई।
6. फार्म 3,7,13 एवं 15 निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए गए।
7. फार्म 3,7,13 एवं 15 संस्थान पर प्रदर्शित नहीं किए गए। (धारा-36)
8. नियम 3(1) के अनुसार संवैतनिक अवकाश रजिस्टर नहीं रखा गया।
9. अन्य।
- 10.

निरीक्षण पत्र की एक प्रति नियोजक प्रतिनिधि श्री..... को देकर सहमति दी गई कि निरीक्षण पत्र में दर्शाई गई अनियमितताओं को देर कर अनुपालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं.....श्रम कल्याण अधिकारी/सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय को मय रिकार्ड.....दिन में प्रस्तुत करें। अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर अधिनियम की धाराओं व नियमों का उल्लंघन करने के अभियोग में आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

निरीक्षक,
दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम एवं
श्रम निरीक्षक(.....)

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त उल्लंघनों को नोट कर लिया है।

नियोजक / व्यवस्थापक / प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय:—बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत निरीक्षण टिप्पणी।

1. निरीक्षण की तिथि :
2. अ. संस्था का नाम व पता.....
.....
ब. नियोजक का नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का पता.....
.....
स. फैक्ट्री/संस्थान का स्थापन वर्ष
द. नियमित उत्पादन वर्ष
3. अ. लेखा वर्ष की अवधि.....
ब. तिथि जिस दिन तक बोनस की राशि का भुगतान होना था.....
.....
4. नियोजित श्रमिकों की संख्या.....
माह—अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
5. संस्थान की लेखा वर्ष में कितना लाभ है ?
(बैलेन्स शीट के आधार पर लाभ की राशि अंकित करें)
6. क्या धारा 2(4) के अनुसार
अ. प्राप्त अधि बचत की राशि अंकन की गई है या नहीं ?
ब. यदि हां, तो क्या उपरोक्त राशि का अंकन सही है अथवा नहीं ?
7. तिथि जिन पर श्रमिकों को बोनस भुगतान किया गया (मय देय तिथि के)
अ. बोनस भुगतान की राशि का प्रतिशत.....
ब. क्या एक्सप्रेसिया के तौर पर भी भुगतान किया गया है ?
यदि हां, तो कितनी राशि का
8. यदि बोनस भुगतान नहीं हुआ है अथवा समय पर नहीं हुआ है, तो उसके कारण :

(1)

(2)
9. कुल श्रमिकों की संख्या जिन्हें बोनस भुगतान किया गया है।
.....
.....
10. श्रमिकों की संख्या जिन्हें बोनस वितरण नहीं किया गया है(ऐसे श्रमिकों के नाम व टोकन नम्बर लिखें)
11. क्या बोनस वितरण अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कार्य ए/बी/सी/के निर्धारित रिकार्ड रजिस्टर रखे गए हैं अथवा नहीं ?
12. विशेष विवरण (फार्म डी में वार्षिक विवरणी भेजी गई है या नहीं)

निरीक्षण श्रीनियोजक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण पत्र की प्रति नियोजक प्रतिनिधि को देकर सहमति दी गई कि पालना रिपोर्ट में सकल लाभ की गणना, स्टेटमेंट के साथ पी एण्ड एल अकाउण्ट एवं बैलेंस शीट प्रेषित करें एवं स्टेटमेंट फार्म ए,बी के साथ फार्म डी में वार्षिक विवरणी एवं सूची अनुसार पूर्ण बोनस का भुगतान कर 7 दिवस में अनुपालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी/सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त..... को प्रेषित करें।

निरीक्षक,
बोनस भुगतान अधिनियम एवं
श्रम निरीक्षक (.....)

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त उल्लंघनों को नोट कर लिया है।

नियोजक/व्यवस्थापक/प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय:—वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 तथा राजस्थान वेतन भुगतान नियम, 1961 के अंतर्गत निरीक्षण टिप्पणी।

संस्थान/पंजीकृत कार्यालय मैसर्स.....

निरीक्षण का दिनांक व..... समय.....

का नाम व पता.....

नियोजक मालिक, भागीदार,

डायरेक्टर का नाम व पता.....

1. संस्थान का विवरण.....
 - (क) नियोजक का नाम व पता.....
 - (ख) निरीक्षक के दिन नियोजित श्रमिकों की संख्या पुरुष..... स्त्री.....
बच्चे.....कुल.....
 - (ग) वेतन अवधि.....वेतन भुगतान का दिनांक.....
 - (घ) उपस्थित नियोजक या उसके प्रतिनिधि का नाम.....
 - (च) कार्य का समय.....(छ) साप्ताहिक अवकाश.....
2. रजिस्टर्स एवं रिकार्ड्स :-
 - (क) जुर्माना रजिस्टर (नियम 3 फार्म नं. 1).....
 - (ख) कटौती रजिस्टर (नियम 4 फार्म नं. 2).....
 - (ग) वेतन भुगतान रजिस्टर (नियम नं. 5).....
 - (घ) एडवांस रजिस्टर (नियम 18 फार्म नं.1).....
 - (ङ) हाजरी रजिस्टर
3. राजस्थान वेतन भुगतान नियम, 1961 के तहत नोटिसों का प्रदर्शन –
 - (क) वेतन दरों का प्रदर्शन फार्म नं0 6 (नियम-7)
 - (ख) वेतन भुगतान दिवस, का प्रदर्शन (नियम-9)
 - (ग) एक्ट एवं नियमों के सारांश प्रपत्र का प्रदर्शन (नियम 23 व धारा 25)(प्रपत्र सं0 5 में)
.....
4. नीचे संलग्न सूची में वर्णित श्रमिकों को उनके आगे लिखित मजदूरी की अवधि की मजदूरियों का भुगतान किया है।
5. नीचे संलग्न सूची में वर्णित श्रमिकों को उनके आगे लिखित मजदूरी की अवधि की मजदूरियों का भुगतान विलम्ब से किया गया है।

6. अन्य कोई अनियमितताएं जो कि निरीक्षक द्वारा पाई गई ;

(1).....

निरीक्षण टिप्पणी में दर्शाई गई अनियमितताओं को 7 दिवस के अन्दर दूर कर अनुपालना रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

निरीक्षक

अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

एवं श्रम निरीक्षक (.....)

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त उल्लंघनों को नोट कर लिया है।

हस्ताक्षर नियोजक/प्रतिनिधि

(प्राप्तकर्ता का नाम एवं पूर्ण विवरण)

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय.....

विषय:—उपादान संदाय अधिनियम, 1972 एवं नियम 1973 के अंतर्गत निरीक्षण टिप्पणी।

निरीक्षण की तिथि :.....

1. संस्थान का नाम
2. नियोजक का नाम व पता
3. कारखाना व्यवस्थापक
4. नियोजित श्रमिकों की संख्या
5. क्या नियम 3 के तहत संस्थान के प्रारम्भ होने की सूचना नियंत्रक अधिकारी को दी गई है ?
6. क्या नियम 4 के तहत अधिकृत व्यक्ति के नाम का नोटिस प्रदर्शित किया गया है ?
7. क्या नियम 20 के तहत अधिनियम एवं नियमों का सारांश प्रदर्शित किया गया है ?
8. क्या नियोजित व्यक्तियों से नामांकन पत्र भरवाकर प्राप्त कर लिए गए हैं ?
9. क्या गत एक वर्ष में किसी श्रमिक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है ?

यदि हां, तो क्या भुगतान नियमानुसार किया गया है।

निरीक्षण श्रीनियोजक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा। निरीक्षण प्रपत्र की प्रति नियोजक प्रतिनिधि को दी जाकर सहमति दी गई कि उपरोक्त उल्लंघनों की पालना कर पालना रिपोर्ट मय रिकार्ड 7 दिवस में कार्यालय अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी/सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त.....को प्रेषित करें साथ ही कारण स्पष्ट करें कि पाए गए उल्लंघनों के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे।

निरीक्षक,

उपादान संदाय अधिनियम एवं

श्रम निरीक्षक (.....)

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त उल्लंघनों को नोट कर लिया है।

नियोजक/व्यवस्थापक/प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

कार्यालय

विषय:—निरीक्षण अन्तर्गत कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 (ठेकेदार नियोजकों के लिए)

1. निरीक्षण का दिनांक समय.....
2. संस्थान का नाम व पता
.....
.....
3. संस्थान में व्यवस्थापक या अधिकृत प्रतिनिधि
4. मुख्य नियोजक का नाम व पता
5. मुख्य नियोजक के संस्थान में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या
6. क्या संस्थान के अधिनियम के तहत पंजीयन करा लिया है यदि हां, तो पंजीयन संख्या:
7. निरीक्षक के समय उपस्थित नियोजक/प्रतिनिधि का नाम व पता
8. क्या संस्थान में कान्ट्रैक्टर्स का रजिस्टर फार्म 8 में रखा है (नियम 73)
9. क्या संस्थान पर निम्नलिखित नोटिस प्रदर्शित किये हैं :-
(क) वेतन दर
- (ख) कार्य समय
- (ग) वेतन अवधि
- (घ) वेतन देने की तिथि
- (ङ) निरीक्षक का नाम व पता
- (च) अतिरिक्त वेतन देने की तिथि
10. क्या ठेकेदार नियोजक ने फार्म में दो प्रति में छः माही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।
11. मुख्य नियोजक का नाम व पता

.....
.....
12. क्या मुख्य नियोजक प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार संस्थान के भुगतान आदि संबंधित रिकार्ड को सत्यापित किया है? कौन-कौन से रजिस्टर?

निरीक्षण श्रीनियोजक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण पत्र की प्रति नियोजक प्रतिनिधि को देकर सहमति दी गई कि उपरोक्त उल्लंघनों की पालना मय वांछित रजिस्टर एवं रिकार्ड के 7 दिन में अघोहस्ताक्षरकर्ता श्र0क0अधि0/सहा0 श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें। अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

निरीक्षण टिप्पणी की प्रति प्राप्त की एवं उल्लंघनों को नोट किया।

निरीक्षक,
कान्टेक्ट लेबर एक्ट, जयपुर
एवं श्रम निरीक्षक (.....)

स्थान.....

हस्ताक्षर नियोजक प्रतिनिधि

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय

विषय :- निरीक्षण अंतर्गत कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970
(मुख्य नियोजक एवं नियम 1971)

1. निरीक्षण का दिनांक :समय.....
2. संस्थान का नाम व पता
3. कार्यस्थान एवं कार्यस्थल का पता.....
4. संस्थान के नियोजक का नाम व पता.....
5. संस्थान में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या
6. संस्थान में ठेके पर नियोजित श्रमिकों की संख्या.....
7. क्या संस्थान के अधिनियम के तहत पंजीयन करा लिया है यदि हां, तो पंजीयन संख्या.....
8. निरीक्षण के समय उपस्थित नियोजक/प्रतिनिधि का नाम व पता
9. क्या संस्थान में कान्ट्रेक्टर्स का रजिस्ट्रर फार्म 8 में रखा है (नियम 73)
10. क्या संस्थान ने निम्नलिखित नोटिस प्रदर्शित किये हैं :-
 - (क) वेतन दर.....
 - (ख) कार्य समय.....
 - (ग) वेतन अवधि.....
 - (घ) वेतन देने की तिथि.....

(ड) निरीक्षक का नाम व पता.....

.....

(च).. अतिरिक्त वेतन देने की तिथि.....

11. क्या मुख्य नियोजक ने फार्म XXI में दो प्रति में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।(नियम-81-II)
12. क्या ठेकेदार के श्रमिकों को मुख्य नियोजक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष वेतन का भुगतान किया जाता है (नियम-71-II)
13. अन्य उल्लंघन.....
.....
.....

निरीक्षण श्री.....

नियोजक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया । निरीक्षण पत्र की प्रति नियोजक प्रतिनिधि को देकर सहमति दी गई कि उपरोक्त उल्लंघनों की पालना मय वांछित रजिस्टर एवं रिकार्ड के 7 दिन में अधो-हस्ताक्षरकर्त्ता श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें। अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

निरीक्षण टिप्पणी की प्रति प्राप्त की एवं उल्लंघनों को नोट किया ।

निरीक्षक,
कान्टेक्ट लेबर एक्ट,जयपुर
एवं श्रम निरीक्षक(.....)

स्थान.....

हस्ताक्षर नियोजक प्रतिनिधि

